Central registration of drugs

1735, SHRI PARVATHANKNI UPENDRA: Will the Minister of HEALTH AND* FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the All India Drug Action Network has emphasised the need for central registration [01] all drugs marketed in India;

(b) if so, what is the response of Government to this suggestion; and

(c) what steps Government are taking to stop marketing of sub-stan dard spurious and hazardous drugs?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI MOTILAL VORA): (a) and (b) Under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act and Rules State Governments are responsible for manufacture and sale of drugs in their States.

The need for Central Registration of all drugs marketed in India has been suggested at Various formus from time to time. State Governments are the licensing authorities for manufacture and the drugs permitted by them are registered witn them. In respect of New Drugs' clearance is given by the Drug Controller (India) and these are registered with him.

(c) The provisions of the Drugs and Cosmetics Act and the Rules thereunder for manufacture, sale and distributions of drugs are enforced by the State Drugs Control Authorities. The Drugs Consultative Committee, a statutory body under the provisions of the Drugs and Cosmeticg Act periodically review the enforcement and standards of quality' of drugs.

दिल्ली और अन्य स्टेशनों पर अप्राधिकृत कुली

1736. **श्री रामसिंह भाई पातलीयाभाई राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर लाल तथा हरी कुर्ती पहने सैंकड़ों अप्राधिकृत कुली आम तौर पर देखे जाते हैं ;

(ख) क्या ये कुली प्रथम श्रेणी के डिब्बों के अलावा अन्य डिब्बों में आकर सामान उतारते तथा चढ़ाते हैं ;

(ग) क्या उन लोगों का मुख्य पेशा रेल के डिब्बों में सीटों को रोकना, यात्रियों के सामान गायब करना और लोगों की जेब काटना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कार्य में रेलवे पुलिस और रेल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की सांठ-गांठ होने तथा उनके द्वारा भारी कमाई करने का आरोप है और रेलवे को इस आशय की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस प्रथा को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी हां । कुछ मामले नोटिस में आए हैं ।

(घ) से (ङ) समय-समय पर कुछ निराधार की शिकायतें मिली हैं । 1987–88 के दौरान 4148 अप्राधिकृत व्यक्तियों को पकड़ा गया था तथा उन पर भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था ।